महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – नब्बेवां संस्करण (माह सितंबर, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre)
3. जल का परीक्षण
4. डिजिटल भारत की तस्वीर
5. ग्राम सभा की शक्तियॉं, कार्य एवं वार्षिक सम्मिलन
6. "आंकाक्षी विकाखण्ड में नेतृत्व विकास" विषय पर विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों का 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
7. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन
8. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का नवासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का आठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं आयोग के ''आंकाक्षी विकासखण्ड में नेतृत्व विषय पर विकाखण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21–22 अगस्त 2023 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान में आयोजित किया गया। जिसे **''आंकाक्षी विकाखण्ड में नेतृत्व विकास' विषय पर विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों का 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**'' तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री का आधारभूत प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 अवधि में आयोजित किया गया। जिसे **''ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन**'' समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre)''**, **''जल का परीक्षण''**, **''डिजिटल भारत की तस्वीर''**, **''ग्राम सभा की शक्तियॉ, कार्य एवं वार्षिक सम्मिलन''** एवं **''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre)

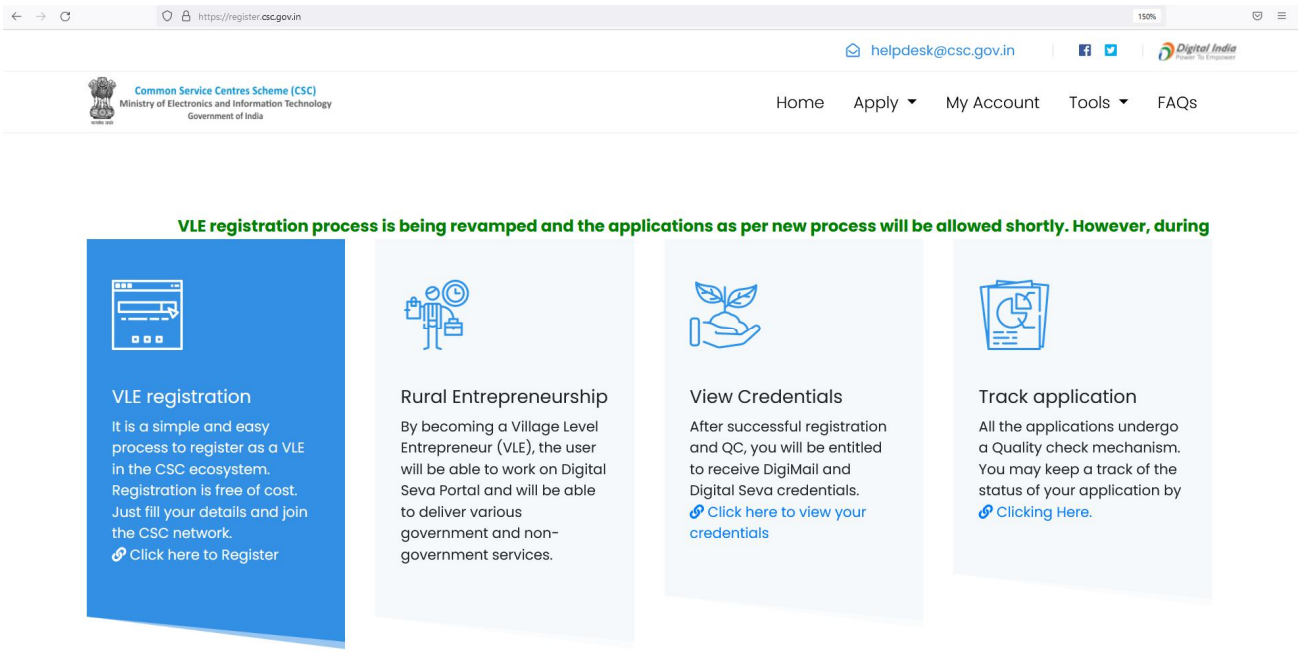

CSC Digital Seva भारत सरकार के द्वारा आरम्भ की गई। भारत के नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन उद्देश्य विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://register.csc.gov.in/ के माध्यम सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

विभिन प्रकार के सरकारी कार्य CSC Centre के माध्यम से किये जाते है। इस CSC Centre के माध्यम नागरिको को सभी प्रकार की सुविधा का लाभ पहुँचाने के लिए CSC Centre प्रयोग किया जाता है। इस CSC Centre का मतलब होता है Common Service Centre या फिर अगर हिंदी में कहे तो सेवा केंद्र। जिसके माध्यम से देश के नागरिको के विभिन प्रकार के दस्तावेज को तैयार किया जाता है। इस सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन प्रकार के कार्य किये जाते है। यह जन सेवा केंद्र किसी भी गांव के स्तर पर इंटरप्रेन्योर के द्वारा चलाये जाते है। भारत देश का कोई भी नागरिक अब अपना सीएससी सेंटर खोल सकता है।

आज के समय में सभी काम डिजिटल होने लगे है और इसके लिए हमें CSC Digital Seva केंद्र की आवश्यकता पड़ती है अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य एवं गांव में अपना CSC Digital Seva केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसी भी पंजीकृत गांव के स्तर पर इंटरप्रेन्योर के पास इस सीएससी रजिस्ट्रेशन के कार्यभार की जिम्मेदारी होती है। CSC Center Registration की प्रक्रिया को केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। अब देश का जो भी नागरिक अपना CSC Center खोलना चाहता है तो वह डिजिटल सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

CSC Digital Seva Registration -

इस कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होना आवश्यक है। इस CSC Centre Registration की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीक जन सेवा केंद्र शुरू करना चाहते हैं, तो वह डिजिटल सेवा केंद्र 2020 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है और आगे भविष्य में इसका लाभ उठा सकते है।

CSC Centre कैसे खोले?

अपने आउटलेट्स के माध्यम से, वीएलई उपभोक्ताओं को अंतिम सीमा तक सरकारी एवं गैर–सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। वीएलई में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये मुफ्त है। कुछ समय पहले तक ये पंजीकरण बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सीएससी ऑनलाइन पोर्टल में वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। CSC द्वारा VLE कोड के माध्यम से नए आवेदन स्वीकार किए जा रहें हैं, आप अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सीएससी रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य और लाभ –

देश में अधिकतर नागरिक किसी भी ऑनलाइन काम जैसे– सभी प्रमाण पत्र, जॉब के लिए आवेदन, परीक्षा के प्रवेश पत्र आदि खुद से नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जनसेवा केंद्र जा कर और थोड़ी फीस देकर ये सभी काम करवाने पड़ते हैं। देश के नागरिकों को यही सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा CSC सेंटर खोलने के प्रावधान किये गए हैं। इस CSC सेंटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के लोगो को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है। इस CSC सेंटर के माध्यम से सभी नागरिक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं को लोगो तक पहुंचाया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक आवेदन भी कर सकेंगे। जनसेवा केंद्र के माध्यम सस्ती लागत और आसान तरीके से नागरिको को सरकारी निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं को प्रदान किया जा सकता है।

टीईसी प्रमाण पत्र संख्या

टीईसी प्रमाण पत्र का अर्थ होता है टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स सर्टिफिकेट। भारत देश के जो इच्छुक नागरिक CSC Center चाहते है तो उनके पास टीईसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप इस टीईसी प्रमाण पत्र के बिना आप सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है। आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार के एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसके पश्चात ही आप अपना टेलिसेंटर उद्यमी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र करेंगे। टीईसी की परीक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम से ली जा सकती है। टीसीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।

सीएससी रजिस्ट्रेशन में ऑपरेटर कैसे जोड़े ?

CSC Center पंजीकरण की प्रकिया समाप्त हो गई है। लेकिन सीएससी पंजीकरण करने का एक तरीका यह भी है ,जिसकी सहायता से कुछ समय के बाद सीएससी का पासवर्ड और आईडी प्राप्त कर सकते है और साथ सीएससी में पंजीकरण कर सकते है। इसके लिए व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की जरुरत पड़ेगी जिसके पास पहले से सीएससी आईडी और पासवर्ड हो। इस तरह CSC Center पाने के लिए आपको अपने गांव, ब्लॉक, जिले या यहां तक की राज्य के किसी भी सीएससी ऑपरेटर से बात करनी होगी ताकि उन्हें अपनी आईडीई के ऑपरेटर के मूड पर जोड़ सके। सीएससी में शामिल होने पर, आपको कुछ ही मिनटों में आपकी आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जायेगा।

CSC संबंधी सेवाएं –

- बीमा सेवाएं
- पासपोर्ट
- एलआईसी
- एसबीआई
- पेंशन सेवाएं
- बैंकिंग
- आधार सेवाएं
- एलईडी एमएसयू
- कौशल विकास
- चुनाव
- बिजली बिल भुगतान
- रेलवे टिकेट
- शिक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
- नयी सेवाएं
- जातिप्रमाण पत्र बनवाने की
- निवास प्रमाण पत्र
- जन सेवा केंद्र पंजीकरण

जन सेवा केंद्र को दूर दराज के ग्रामीण इलाको में रहने वाले नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति के अनुसार खोला जाता है। यह जन सेवा केंद्र हर एक गांव और शहर में खोला जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर योजना एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत योजना है। यह कॉमन सर्विस सेंटर देश के सभी राज्य में चल रहे है और स्वास्थ्य, उपयोगिता भुगतान, शिक्षा, कृषि तथा वित्तीय सेवाओं, बी 2 सी सेवाओं, जी 2 सी सेवाओं आदि क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे है और इस CSC ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

कुल आयरन टेस्ट

समान्यतः पेयजल में आयरन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। किंतु पेयजल में आयरन की अत्यधिक मात्रा होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान–

मेजरिंग सिलेंडर नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं आयरन रीजेंट नंबर 8,9,10

प्रयोग विधि–

1. एक नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धोएं इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर में 10 मिली नमूना जल भरें।
2. इसमें कुल आयरन रीजेंट नंबर 8 की दो बूंद डालें थोड़ा सा हिलायें ।
3. इसके बाद कुल आयरन रीएजेंट नंबर 9 की एक बूंद डालें थोड़ा सा हिलायें।
4. अब कुल आयरन रीएजेंट नंबर 10 की तीन बूंद डालकर 5 मिनट तक रखा रहने दें जिससे कि इसका रंग टोटल आयरन के अनुसार हल्की नांरगी से गहरा नारंगी हो जाएगा मात्रा ज्ञात करने हेतु दिए हुए कलर चार्ट से मिलान करें।

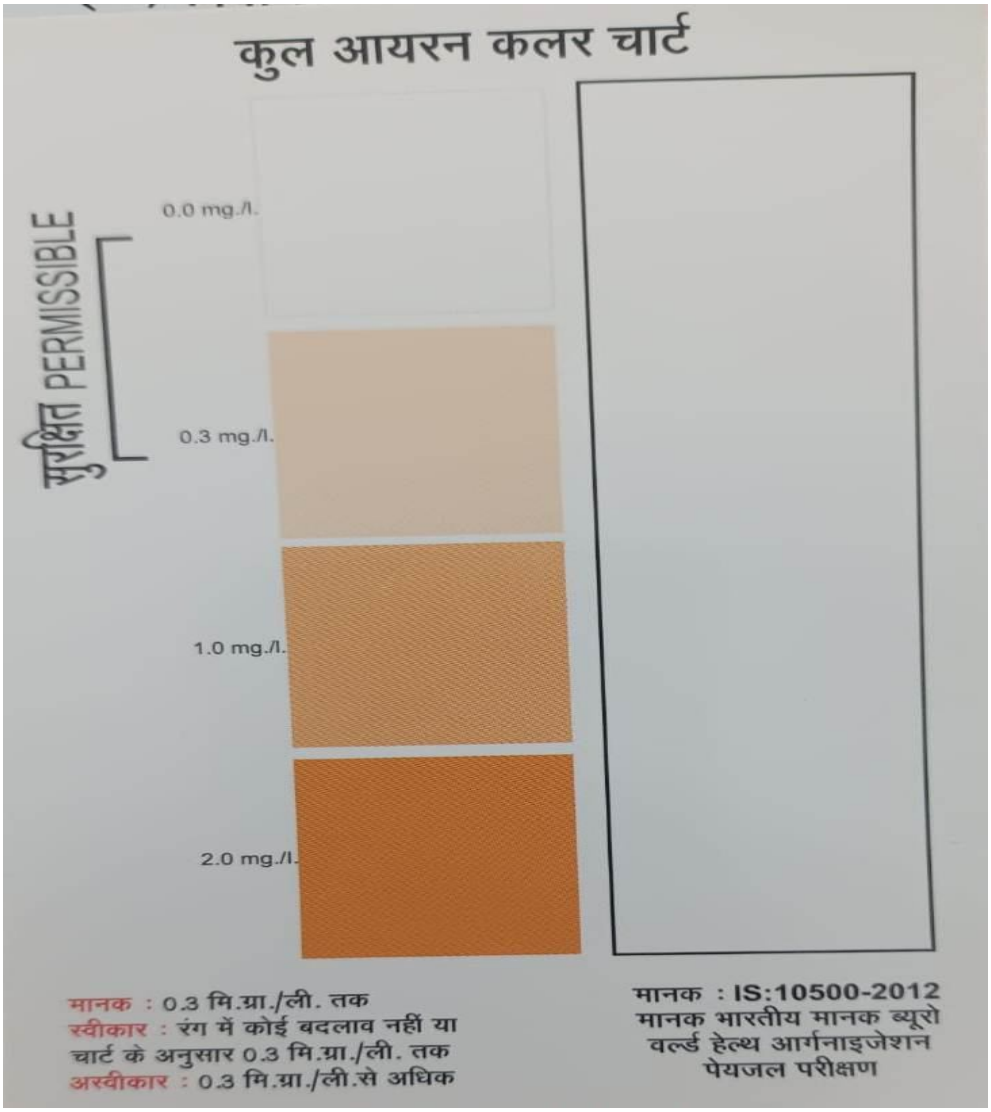

फ्री क्लोरीन टेस्ट

पेयजल को शुद्ध करने के लिए जल का क्लोरीनीकरण किया जाता है पेयजल में क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान–'

मेजरिंग सिलेंडर नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं फ्री क्लोरीन टेस्ट रिजल्ट नंबर 11 **प्रयोग विधि–**

1. एक नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धोएं इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेशलर सिलेंडर में 10 मिलीलीटर नमूना जल भरे।
2. फ्री क्लोरीन रिएजेंट नंबर 11 की तीन बूंद इसमें डालें पानी के रंग में बदलाव देखें।
3. फ्री क्लोरीन की उपस्थिति के अनुसार पानी में हल्का पीला रंग आ जाएगा, दिए गए चार्ट से मिलान करें।

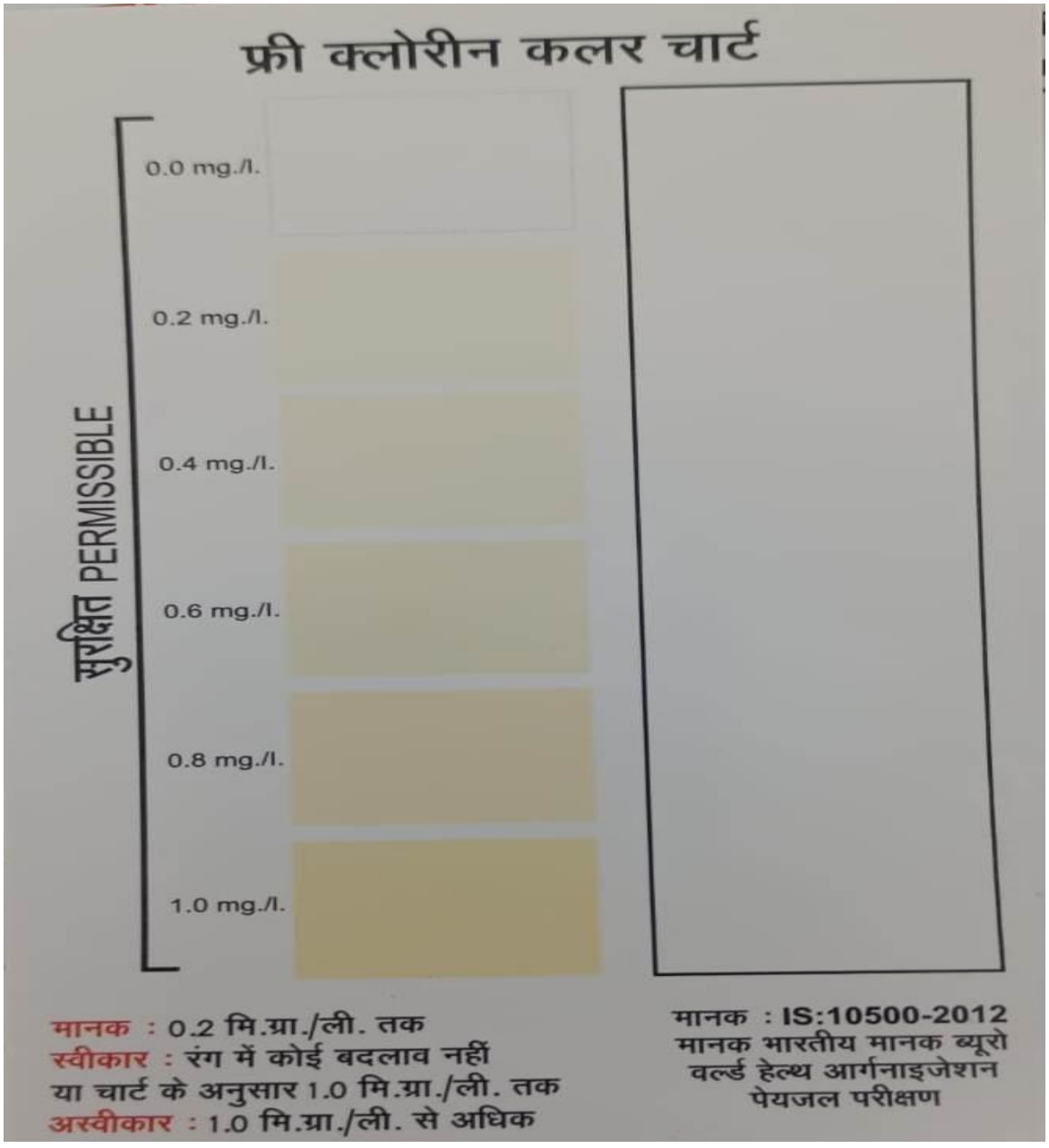

नाइट्रेट टेस्ट

सामान्यतः नाइट्रेट पानी में अल्प मात्रा में होता ही है नाइट्रेट का पानी में होना जल प्रदूषण का संकेत होता है जल में नाइट्रेट की जांच का परिणाम ज्ञात करना आवश्यक होता है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान

मेजरिंग सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर, (कांच की टेस्ट ट्यूब), गिलास रॉड एवं नाइट्रेट रीजेंट नंबर 15,16 ।

प्रयोग विधि

1. 1 नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धो लें इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेशनल सिलेंडर में 10 मिली नमूना जल भरें।
2. इसमें कुल नाइट्रेट रिएजेंट नंबर 15 की 5 बूंद डालें थोड़ा सा हिलाएं।
3. इसके बाद रिएजेंट क्रमांक 16 से एक टेबलेट डालकर धीरे–धीरे हिलाएं जब तक टेबलेट घुल ना जाए अथवा दी हुई ग्लास रॉड से टेबलेट तोड़ ले फिर थोड़ा हिला कर रख दें।
4. नाइट्रेट की मात्रा के अनुसार 5 से 15 मिनट में घोल का रंग हल्के गुलाबी से गहरा गुलाबी हो जाएगा दिए गए चार्ट से तुरंत मिलान कर नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करे।

नोटः नियत समय के पश्चात परीक्षण के रंग गहरे हो जाएंगे जो अमान्य हैं ।

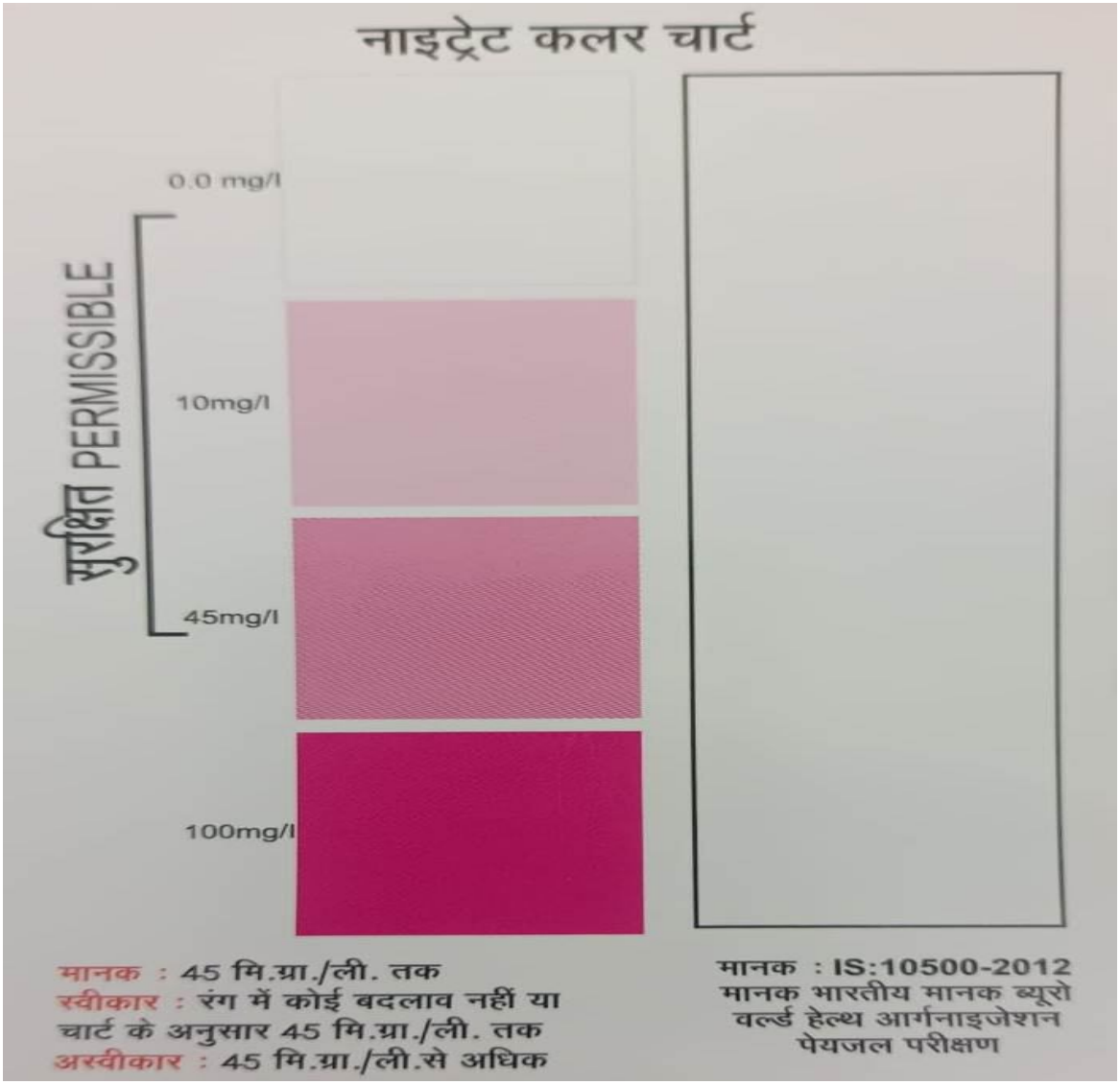

अमोनिया टेस्ट

अमोनिया कुछ भू–जल में स्वाभाविक रूप से होता है, या पेयजल वितरण प्रणालियों में क्लारैमाईन बनाने के लिए पानी में जोड़ा जाता है। अत्यधिक अमोनिया की महत्वपूर्ण मात्रा का नाइट्रिफिकेशन हो सकता है लगभग 0.1 मिलीग्राम /लीटर से अधिक अमोनिया का स्तर आमतौर पर प्रदूषित पानी का संकेत देता है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान–

मेजरिंग सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट ट्यूब) एवं अमोनियम रीजेंट नंबर 17

प्रयोग विधि –

1. एक नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट ट्यूब) को नमूना जल से धोएं इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर कांच की टेस्ट ट्यूब में 5 मिली. नमूना जल भरें।
2. अमोनिया रीएजेंट नंबर 17 की चार बूंद इसमें डालें पानी के रंग में बदलाव देखें।
3. अमोनिया की उपस्थिति के अनुसार पानी में हल्का पीलापन आ जाएगा दिए गए चार्ट से मिलान करें और सर्वाधिक निकट रंग देखकर अमोनिया की मात्रा जान लें।

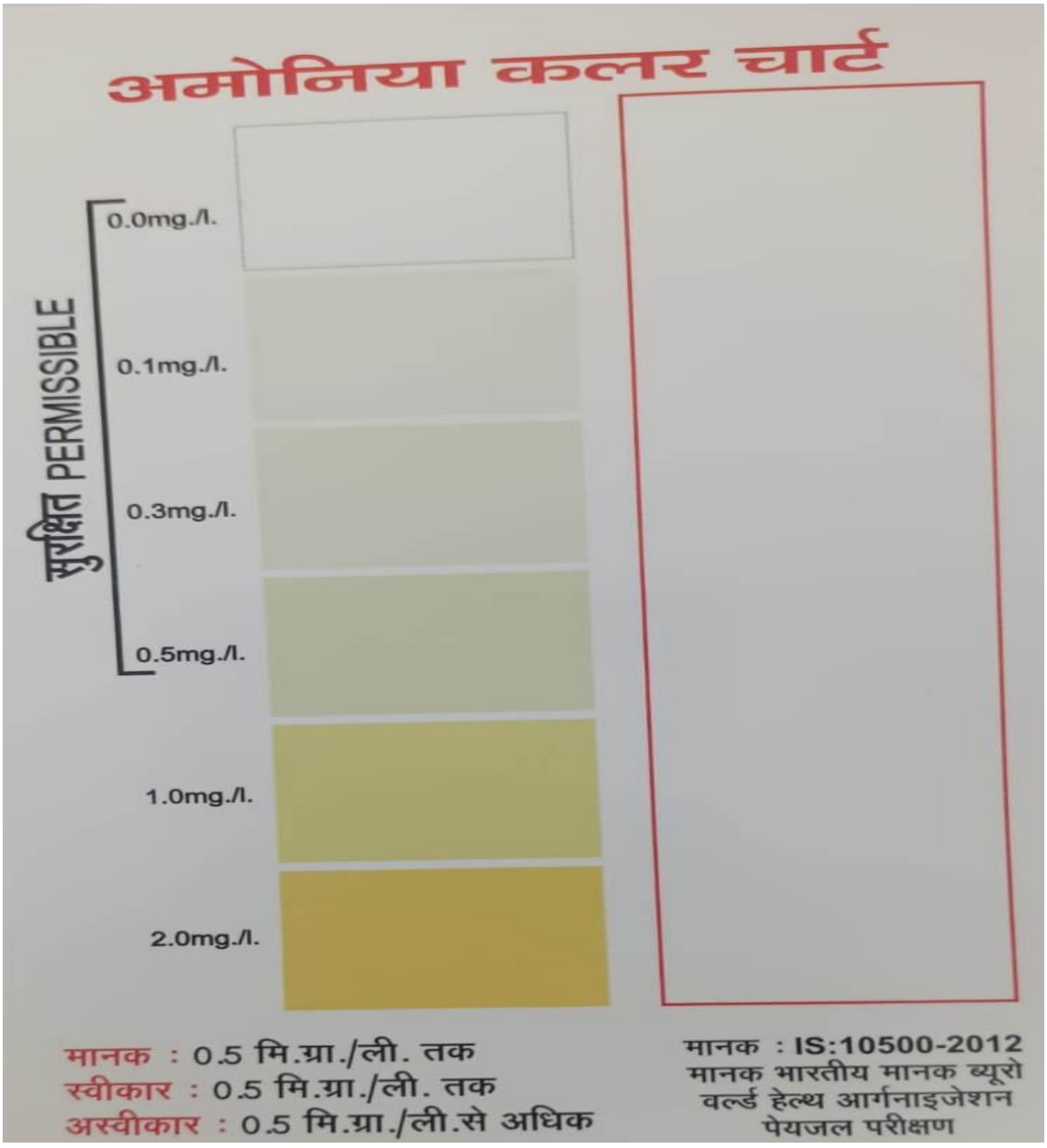

कुल क्षारीयता टेस्ट

कुल क्षारीयता पानी में उपलब्ध एसिड की मात्रा की क्षमता का माप है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान–

मेजरिंग सिलेंडर नेसलर सिलेंडर (कांच की टेस्ट्यूब) एवं कुल क्षारीयता रिएजेंट नंबर 18,19

प्रयोग विधि–

1. 1 नेसलर सिलेंडर को नमूना जल से धोएं इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर नेसलर सिलेंडर में 10 मिली. नमूना जल भरें।
2. इसमें कुल क्षारीयता रिएजेंट नंबर 18 की चार बूंद डालें थोड़ा सा हिलाएं इससे नमूने जल का रंग नीला हो जाएगा ।
3. फिर इसमें कुल क्षारीयता रिएजेंट नंबर 19 की एक–एक करके बूंदें डालकर गिनते जाएं साथ में इसको हिलाते जाएं जब तक कि नमूने जल का रंग लाल रंग का हो जाए
4. कुल क्षारीयता रिएजेंट नंबर 19 से डाली गई बूदों की संख्या को 25 से गुणा करने पर आपको कुल क्षारीयता की पी.पी.एम. मात्रा ज्ञात हो जाएगी।

नोट– रिएजेंट नंबर 19 की एक बूंद डालने से यदि नमूने जल का रंग लाल गुलाबी हो जाता है तो नमूने जल की कुल क्षारीयता 25 मिलीग्राम लीटर से कम है।

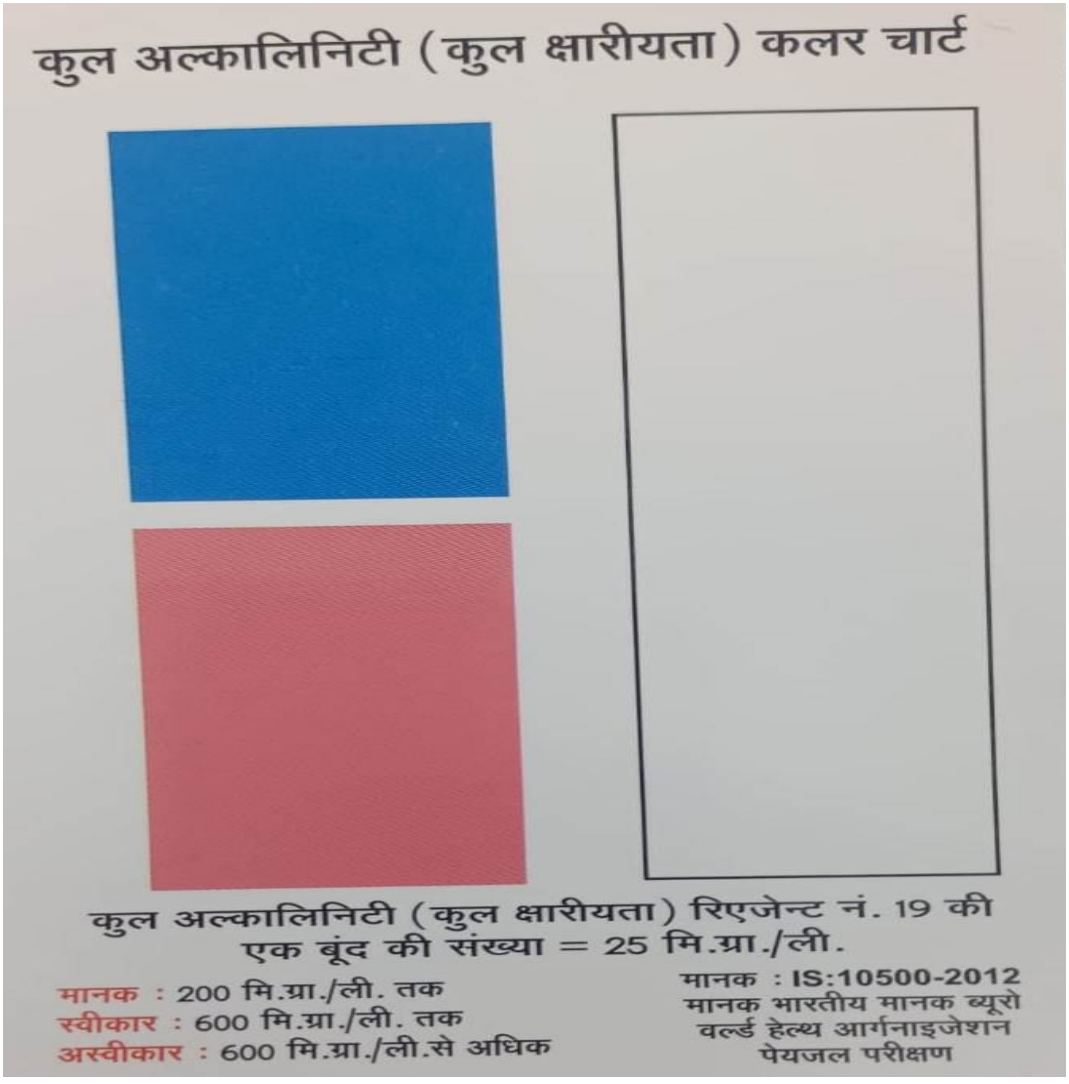

टर्बिडिटी टेस्ट

प्रायः जल में टर्बिडिटी टेस्ट का मुख्य कारण अघुलनसील मिट्टी के कण, बारीक मिट्टी, चिकनी मिट्टी कार्बनिक अवशिष्ट, सड़े हुए पदार्थ एवं अतिसूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिस जल में इस तरह के कण नजर आते हैं उसकी जांच करना आवश्यक होता है।

प्रयोग के लिए आवश्यक सामान

1. मानक टर्बिडिटी की तुलनात्मक टर्बिडिटी वायल नंबर 12 की एक एन.टी.यू. और 5 दज एन.टी.यू. टयूब वायल नंबर 13
2. एबिलिटी परीक्षण हेतु टर्बिडिटी तुलनात्मक ट्यूब वॉयल नंबर 14

प्रयोग विधि :

टर्बिडिटी परीक्षण हेतु टर्बिडिटी टयूब वॉयल नम्बर 14 को गर्दन तक नमूना जल से भरे, इसके बाद ढक्कन लगाकर किट में दी हुई तुलनात्मक टर्बिडिटी टयूब वॉयल नम्बर 12,1 एन.टी.यु. और टर्बिडिटी टयूब वॉयल नंबर 13,5 एन.टी.यू. से मिलान करें इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि पानी में कितनी टर्बिडिटी है।

नोट टयूब वॉयल नं. 12 एवं 13 मिलान करने से पहले अवश्य हिलाएं

मानक 1 एन.टी.यू.

स्वीकार 5 एन.टी.यू. तक

अस्वीकार 5 एन.टी.यू. से अधिक

सज्जन सिंह चौहान
संकाय सदस्य

डिजिटल भारत की तस्वीर

इतिहास को भला कौन कैद कर सकता है यह तो झांकता है किताबों से, झरोंखों से , प्राचीरों से दफन भी हो जाये तो भी धरती की कोख से ही अपने होने की गवाही ठीक देता है वैसे ही जैसे डिजीटल इंडिया का बोल वाला वर्तमान समय में है । हर तरफ डिजीटलाइजेशन के माध्यम से कार्यो को सुगम हो सहज रुप से संचालित किया जा रहा है इसके साथ ही नये नये आयाम खुल रहे है प्रायः देखने में आ रहा है कि अब ग्रामीण अंचल के लोग भी इसका भरपूर उपयोग कर रहे है यंहा तक शासकीय संस्थायें भी इसका प्रयोग डिजिटल प्लेटफार्म पर कर रहे है जिनका उदाहरण हम वर्तमान में जैम एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संयुक्त कार्य को लेकर देख सकते है। जिसके माध्यम से अब ग्रम पंचायतों के पंजीयन कर ऑनलाइन सामग्री खरीदारी की जायेगी ।

कम्प्यूटर के माध्यम से कुछ घंटों में अपार डेटा प्रोसेस किया जा सकता है इसके साथ ही बैंक खाते , पंजीकरण फार्म, स्वामित्व दस्तावेज और अन्य डिजिटल विनिमय वगैरह संभव आसानी किया जा रहा है।

डिजिटल इंण्डिया यूं तो देश को डिजिटल रुप से सशक्त देश बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया एक अभियान है इस अभियान के माध्यम से कागजी कार्यवाहीयों से रियायत पाना और इलेक्ट्रोनिक सरकारी सेवाएं प्रदान करना था। इसी को ध्यान में रखते 1 जुलाई 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किसी भी आवश्यक जानकारी तक पहुॅचने के लिये हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोडने के लिये शुरु की गई थी ।

डिजिटलाईजेशन की वजह से यूपीआई के माध्यम से भुगतान प्रकिया बहुत आसान हो गई है इसके साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर , डिजिटल सभाएं ,डिजिटल दस्तावेजीकरण की पहल का उपयोग लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच गया है ।

लेकिन इसके दुस्प्रभाव भी हमें सामने आये दिन देखने को मिलते है आये दिन अनभिज्ञता के चलते लोगों को साथ फ्रॉड हो रहा है आनलाइन ठगी की जा रही है अधिक इंटरनेट उपयोग से लोगो को इंटरनेट की लत गई है जिसके साथ ही उपभोगकर्ता का व्यवहार असामान्य होता जा रहा है ,बदलते वक्त के साथ सारी कार्यप्रणालियां बदल रहीं है और इसी बदलाव के युग में हमें कुछ चीजों को अमिट बनाना जिनमें हमारी संस्कृति ,व्यवहार , आचरण आदि शामिल है।

काबिल सिंह,
संकाय सदस्य

ग्राम सभा की शक्तियॉ, कार्य एवं वार्षिक सम्मिलन

ग्राम सभा की शक्तियॉ, कार्य एवं वार्षिक सम्मिलन से संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7 में दिये गये हैं। अधिनियम की धारा 7–1 में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जो भी नियम बनाये और आदेश जारी करें उनके अनुसार ग्राम सभा की शक्तियॉ और कार्य दिये गये हैं।

ग्राम सभा की शक्तियॉ और कार्य

ग्राम सभा यह तय करगी कि अपने गांव का आर्थिक विकास कैसा किया जावे। इसके लिये कौन–कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं। ग्राम सभा आवश्यकता के हिसाब से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करेगी

- ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी योजना क्रियान्वित करने के पहले ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन दिया जावेगा। इसका मतलब यह हुआ कि, ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना, वार्षिक योजना, कार्यक्रम, परियोजना इत्यादि का कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन लेने के बाद ही प्रारंभ किया जावेगा
- ग्राम पंचायत के सालाना बजट पर विचार कर उस पर अपनी राय देना
- ग्राम पंचायत के सालाना हिसाब किताब पर और उसके ऑडिट पर विचार करना
- ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिये प्राप्त निधियों का ठीक से उपयोग और प्रमाणीकरण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा
- गरीबी हटने और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों को फायदा किन लोगों को मिले यह तय करना
- हितधारियों कसे निधियों या अस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना
- सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये लोगों को गतिशील करना
- ग्राम में विकास स्कीमों की प्रसुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाये रखने तथा उनके साम्यापूर्ण वितरण के लिये व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना
- जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना
- सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरिक या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किये गये हैं उस पर ग्राम पंचायत के जरिये नियंत्रण रखना

- ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों का जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंधन करना
- ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना
- स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्त्रातों और व्ययों पर नियंत्रण रखना
- स्वच्छता, सफाई और न्यूसेन्स का निवारण और उसका उपशमन
- सार्वजनिक कुओं, तड़ागों और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेलू उपभोग के लिए जल प्रदाय
- नहाने तथा धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल प्रदाय हेतु जल के स्त्रोत का सन्निर्माण और अनुरक्षण
- ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य संकर्मों तथा भवनों का सन्निमार्ण और अनुरक्षण
- सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उनकी सफाई
- उपयोग में न लाये जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तड़ागों, खाईयों तथा गड्ढों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावड़ियों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना
- ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना
- सार्वजनिक मार्गों तथा स्थानों और उन स्थलों में जो निजी सम्पत्ति न हों या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हों या राज्य सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना
- मनोरंजन, खेल–तमाशों, दुकानों, भोजनगृहों और पेय पदार्थों, मिठाईयों, फलों, दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण
- मकानों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों तथा फ्लश शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन
- सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल पर प्रबंध, विस्तार और विकास
- शवों, पशु शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन
- लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन
- कचना इकट्ठा करने के लिए स्थानों का पृथक रक्षण
- मॉस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन
- ग्राम सभा की सम्पत्ति का अनुरक्षण
- कांजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना

- संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण और चारागाहों तथा अन्य भूमियों का बनाया रखा जाना जो ग्राम सभा में निहित या उसके नियंत्रणाधीन हैं
- जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना
- जनगणना कार्य में और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विधिपूर्वक गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में सहायता करना
- सांसर्गिक रोगों की रोकथाम में सहायता करना
- इनोक्यूलेशन और टीका लगाने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिये ऐसे अन्य निवारक उपयों को जो संबंधित सरकारी विभागों द्वारा विहित किये जाएं, प्रावर्तित करने में सहायता करना
- निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना
- युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद का अभिवर्धन करना
- जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये, आग की रोकथाम, आग बुझाने और ऐसे आग लग जाने पर सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए रक्षा समिति की स्थापना करना
- वृक्षारोपण तथा ग्रामवनों का संरक्षण
- दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना
- उधार मंजूर करना – गंभीर तथा आपाती मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये, या किसी निर्धन व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अन्येष्टि करने के प्रयोजन के लिये, या किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जैस कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो विहित की जाएं, उधार मंजूर करना
- राज्य सरकार, कलेक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए उपयों के संबंध में और विशेषतः अस्पृश्यता निवारण के संबंध में दिये गए, या जारी किये गए निर्देशों या आदेशों का कार्यान्वयन
- ऐसे कृत्य करना जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत, साधारण या विशेष आदेशों द्वारा ग्राम सभा को सौंपे
- जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय राज्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीर ग्राम सभा को प्रदत्त करे या सौंपे
- ग्राम सभा, जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य कृत्य भी कर सकेगी जिनका किया जाना वह वांछनीय समझेगी
- परन्तु जहॉ ऐसे कोई कृत्य ग्राम सभा को सौंपे गए हैं वहॉ वह यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी और उस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक निधियॉ और अन्य सहायता की व्यवस्था यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी
- बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाना और उसका प्रबंध करना

- विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना
- ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर विकास स्कीमों और निर्माण कार्य को क्रियान्वित करना, निष्पादित करना और उसका पर्यवेक्षण करना
- हितग्राहिता मूलक स्कीमों और कार्यक्रमों का नियंत्रण करना और उन्हें मॉनीटर करना
- व्यापक रूप से जन साधारण में सामान्य जागरूकता को प्रोन्नत करना
- सामुदायिक कार्य के लिए स्वैच्छिक श्रम और सहायता की व्यवस्था करना तथा सामुदायिक स्वामित्व की धारणा को प्रोन्नत करना
- अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक लघु जल निकायों की योजना बनाना, स्वामित्व रखना और प्रबंधन करना
- मछली पकड़ने और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तथा लघु जल निकाय को पट्टे पर देना

- सिंचाई प्रयोजन के लिए नदियों, जलधारा, लघु जल निकायों के उपयोग को विनियमिति करना
- ग्राम सभा को अंतरित या उसके द्वारा नियत किये गए समस्त सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना

ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन

अधिनियम की धारा 7–2 के अनुसार ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाएगा और ग्राम पंचायत ऐसे सम्मिलन के समक्ष लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम, अंतिम संपरीक्षा टिप्पण और उसके सम्बन्ध में दिये गये उत्तर, यदि कोई हों, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना रखेगी।

ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जिन्हें कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सम्मिलन के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा करे।

अधिनियम की धारा 7–3 के अनुसार ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन अपने समक्ष के मामलों के सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को, यदि कोई हो, कार्यान्वित करेगी।

ग्राम सभा की दीर्घकालिक विकास योजना का तैयार किया जाना

अधिनियम की धारा 7–छ क के अनुसार ग्राम सभा आगामी दस वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुमानित निधि का मूल्याकंन करेगी और विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिए दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी। ये योजना, ग्राम सभा की भूमि उपयोग योजना तथा बुनियादी सुख–सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष ग्राम सभा के ग्राम कोष को प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों पर आधारित वार्षिक योजना के माध्यम से दीर्घकालिक योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयारी की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण

अधिनियम की धारा 7–ठ के अनुसार किसी ग्राम सभा को किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसका ग्राम सभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता क्षेत्र आता है, का वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी। ग्राम सभा को ऐसे सरकारी कर्मचारी के अवचार तथा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियों के अधिरोपण के संबंध में सिफारिश सक्षम प्रधिकारी को करने की शक्ति होगी।

ग्राम सभा के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति

अधिनियम की धारा 7–ड के अनुसार राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ग्राम सभा को सौंपे गये कृत्यों तथा कर्तव्यों में वृद्धि कर सकेगी या उन्हें वापिस ले सकेगी जहां राज्य सरकार ग्राम सभा को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के निष्पादन को अपने हाथ में ले लेती है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

''आंकाक्षी विकाखण्ड में नेतृत्व विकास'' विषय पर विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों का 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं आयोग के ''आंकाक्षी विकासखण्ड में नेतृत्व विषय पर विकाखण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21–22 अगस्त 2023 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला धार, खण्डवा, खरगोन, अलिराजपुर, कुल 54 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम संस्थान के संयुक्त आयुक्त महोदय श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा मॉ सरस्वती को माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जलित कर शुभांरम्भ किया गया । संयुक्त आयुक्त महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों का परिचय लिया जाकर '' आंकाक्षी विकासखण्ड में नेतृत्व विषय के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से प्रकाष डाला गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रशिक्षण गतिविधियों को शामिल किया गया :–

सत्र – 1 – नेतृत्व विकास हेतु प्रसिद्धि के लिए दावा करना,

सत्र – 2 – नेतृत्व विकास हेतु परिवर्तनकारी नेतृत्व

सत्र – 3 – नेतृत्व विकास हेतु : आकांक्षी विकाखण्ड कार्यक्रम

सत्र – 4 – नेतृत्व विकास हेतु : विकासखण्ड में परिवर्तन लाने हेतु रणनीति एवं तैयारी

सत्र – 5 – नेतृत्व विकास हेतु : विकासखण्ड में परिवर्तन लाने हेतु रणनिति (चिंतन शिविर आयोजन)

सत्र – 6 – नेतृत्व विकास हेतु : एक साथ मिलकर काम करने की शक्ति

सत्र – 7 – नेतृत्व विकास हेतु : विकासखण्ड में सुशासन

सत्र – 8 – नेतृत्व विकास हेतु : आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम एक जनआंदोलन के रूप में

उक्त गतिविधियों को फिल्म, विडियों सहभागी चर्चा, समूह अभ्यास प्रेजेन्टेशन, केसस्टडी इत्यादि गतिविधियों के साथ कार्यक्रम का संचालन किया गया। प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के संचालक महोदय डॉ. संजय सराफ उपस्थित हुए, संचालक महोदय द्वारा मॉ सरस्वती को माल्यार्पण किया गया । संचालक महोदय का स्वागत संस्थान के संयुक्त आयुक्त महोदय श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा किया गया एवं स्वागत उद्बोधन व 02 दिवसीय प्रषिक्षण की गतिविधियों पर विस्तार से बताया गया । संचालक महोदय द्वारा आंकाक्षी विकासखण्ड के नेतृत्व विषय पर विस्तार से मार्गदर्षन प्रदान किया । इस कार्यक्रम के अवसर पर एसआईआरडी जबलपुर एवं अन्य ई.टी.सी. के भी सभी प्रतिभागी ऑनलाईन जुड़े रहे एवं संचालक महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों से विस्तृत चर्चा की गई ।

समापन अवसर पर संचालक महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में संस्थान के सभी अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहें।

आभार श्री संस्कार बावरिया सीईओ द्वारा किया गया सत्र संचालन श्री राजेन्द्र जोशी संकाय सदस्य, एवं श्री शिवकुमार सिंह प्रोग्रामर द्वारा गया।

सुधा जैन
संकाय सदस्य

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के आधारभूत प्रशिक्षण सत्र समापन अवसर पर म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्य सचिव महोदय का उद्‌बोधन ''जहां शिक्षा और ज्ञान का दीपक जलता, वहां कभी अज्ञानता का अंधकार नहीं पलता''

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रषिक्षण केंद्र, बरखेड़ी कला, नीलबड़ रोड भोपाल में आयोजित दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक पांच दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर विभाग के मुख्य सचिव महोदय श्री मलय श्रीवास्तव जी द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि ''जहां शिक्षा और ज्ञान का दीपक जलता, वहां कभी अज्ञानता का अंधकार नहीं पलता'' आपको सरकारी विभाग में अपनी सेवा में मेहनत, ईमानदारी के साथ करने एवं सेवाकाल में आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु अपने ज्ञान एवं धैर्यता के साथ निपटने के लिए तैयार रहें। इस तरह से नवनियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीं उपस्थित रहें।

प्रशिक्षण सत्र उद्‌बोधन समाप्ति के पष्चातमुख्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र भोपाल का अवलोकन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र की ओर से मुख्य सचिव महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रषिक्षण केंद्र में भारत सरकार के अनावर्ती मद में प्राप्त राशि से हुये अधोसंरचना के कार्यो को सराहा एवं प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं विभाग की यांत्रिकी इकाई पर भरोसा जताया। इस दौरान प्रषिक्षण केंद्र एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का समस्त अमला उपस्थित रहा।

अशोक गोयल
संकाय सदस्य

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण – शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अब मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य आवास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए पात्र परिवारों को शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ दिया जावेगा।

हितग्राही हेतु पात्रता के मापदंड

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंर्तगत आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत 378662 परिवार जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हुए हैं।
- भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवम चिन्हित 97000 परिवार।
- ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 (एसईसीसी सर्वे) एवम आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
- पक्की छत वाला मकान न हो या दो या अधिक कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत न हो।
- मोटरयुक्त चारपहिया वाहन का स्वामी न हो।
- परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो।
- उसकी मासिक आय रुपये 12000/ या अधिक न हो।
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो।
- 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि न हो या 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि न हो।

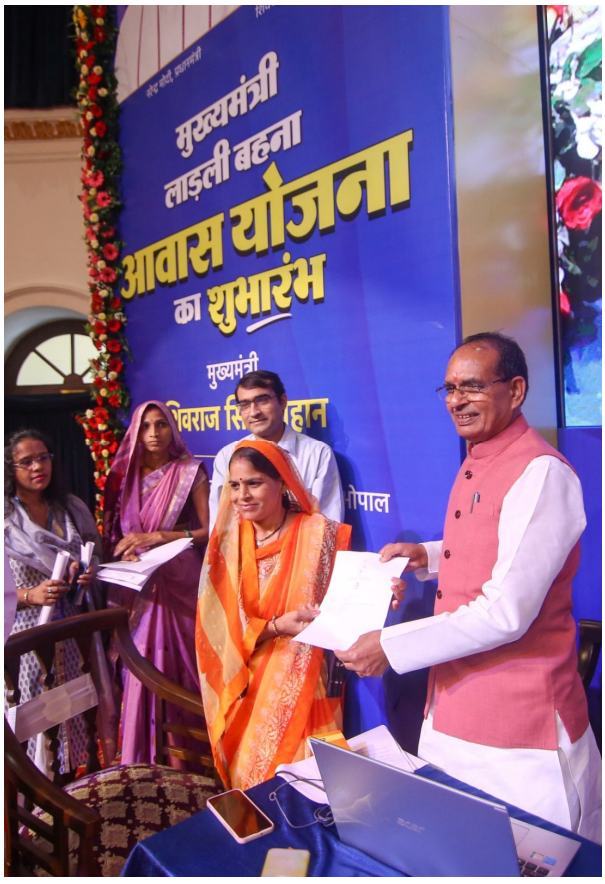

प्रक्रिया

- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत में जमा किया जाएगा। आवेदन के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्रहियों के लिए) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति।
- जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , पंचायत वार प्राप्त सूची का परीक्षण करवाकर पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत वार जानकारी राज्य शासन को प्रेषित करेगें एवं शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जावेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना की विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी हेतु कृपया विभागीय वेबसाईट https://pmayg.nic.in का अवलोकन कीजिए।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.